

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हुक्मी चन्द

राजस्व आवेदन सं. 06/2025

प्रार्थी-

बनाम

विप्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये
पटवारी बालेरा


गोस्धनराम पुत्र तेजाराम, खेताराम
पुत्र तेजा राम जाति रबारी

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 24.04.2025

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का बालेरा द्वारा 10.02.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2081 के दौरान ग्राम सूजान नगर के खसरा नम्बर 763/386 रकबा 37-03 बीघा किस्म गै.मु.मगरा भूमि में से 4 बीघा भूमि पर बाड़ बनाकर कब्जा कर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त। विप्रार्थी द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना स्वीकार किया।
2. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, विप्रार्थी के जवाब एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर नाजायज काश्त एवं कब्जा कर अतिक्रमण किया है जो अवैध है।
3. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.55 का 50 गुणा रूपये 12/- (अक्षरे बारह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
4. भू-अभिलेख निरीक्षक राणीगांव एवं पटवारी बालेरा को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा कराने हेतु, भू-अभिलेख निरीक्षक तथा त.रा.ले. तहसील हाजा निर्णय से सूचित हो। मिसल बाद तामिल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हुक्मी चन्द)
तहसीलदार बाड़मेर एवं कल्याण नगर
राजस्थान